कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2228 /12–1 देहरादून:दिनांक: 17 मार्च ~~फरवरी~~, 2025

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन,
वन अनुभाग–3।

विषय –धूनाघाट–रीठा साहिब मोटर मार्ग के कि0मी0 07.00 से क्वीड़ागांव (दूबड़) मोटर मार्ग लम्बाई 6.50 कि0मी0 के निर्माण हेतु 2.60 है0 वन भूमि का गैर–वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव सं0–**FP/UK/ROAD/19093/2016**)

सन्दर्भ–भारत सरकार की पत्र संख्या 8बी/यू0सी0पी0/06/235/2016/एफ.सी./1336 दिनांक 06.01.2023 व अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी की पत्र संख्या 1668/ **FP/UK/ROAD/19093/2016** दिनांक 12.01.2023।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा निम्नांकित बिन्दु पर त्रुटियों का अवलोकन कर अभिलेख/दस्तावेज प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके कम में वन संरक्षक, उत्तरी वृत्त,अल्मोड़ा पत्रांक–1275/12–1 दिनांक–25.11.2024 एंव प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत के पत्रांक 2052/12–1 दिनांक 18.11.2024 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है:–

क0 सं0	आपत्ति	निस्तारण
1.	In the perusal of the KML file, it has been seen that the existing path along the proposed alignment was constructed after year 2018-19 while the case was under consideration of approval. This can be considered as a violation of FCA, 1980.	प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत द्वारा अवगत कराया गया है कि खण्ड में स्वीकृत धूनाघाट–भिंगराड़ा–रीठा साहिब मोटर मार्ग के कि0मी0 07.00 से क्वीड़ागांव (दुबड़) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.60 हे0 वन भूमि प्रस्ताव गठित कर दिनांक 25.04.2016 को ऑनलाईन किया गया था। जिसमें समय–समय पर उच्च स्तर पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण किया जाता रहा है। वर्तमान में संदर्भित पत्र के माध्यम से के0एम0एल0 फाईल में existing path होना अवगत कराया गया है, जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया गया है, तथा FCA 1980 की शर्तों का विभाग द्वारा कियी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। जांच रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित की गयी है।
2.	Further, the target villages can be easily connected from the end point of the proposed alignment rather being the proposed starting point.	प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश में प्रस्तावित धूनाघाट–भिंगराड़ा–रीठा साहिब मोटर मार्ग के कि0मी0 07.00 से क्वीड़ागांव (दुबड़) तक स्वीकृत किया गया है जो कि अन्तिम बिन्दु टाकखन्दक–करौली मोटर मार्ग में है। प्रस्तावित समरेखण के अन्तिम बिन्दु से ग्रामों को संयोजित करने पर संयोजित ग्रामों से जिला मुख्यालय लगभग 10–12 कि0मी0 की अतिरिक्त दूरी तय करनी होगी। लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सुगमता एवं स्वीकृत शासनादेशानुसार प्रारम्भिक बिन्दु धूनाघाट–भिंगराड़ा–रीठा संहिब मोटर मार्ग के कि0मी0 07. 00 से ही उपयुक्त है।

3.	DFO will submit the action taken report on violation as seen in the KML and also submit the comment on the possibility of connecting target villages from the end point of the proposed alignment.	उल्लिखित रिपोर्ट पृथक से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत् द्वारा प्रेषित सूचना संलग्न कर इस अनुरोध के साथ आपको प्रेषित की जा रही है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून

संख्या– 2228 / 12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक -12757 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 25/11/2024.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **धूनाघाट–रीठा साहिब मोटर मार्ग के कि0मी0 07.00 से क्वीडागांव (दूबड) मोटर मार्ग लम्बाई 6.50 कि0मी0 के निर्माण हेतु 2.60 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभागको प्रत्यावर्तन।**
(आनलाईन प्रस्ताव सं0 FP / UKROAD / 19093 / 20165)145468 / 2021

सन्दर्भः– **भारत सरकार का पत्रांक 8 बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 09 / 2023 / एफ0सी0 / दिनॉक 26.04.2024**

महोदय,

उपरोक्त विषयगत पत्र के क्रम में धूनाघाट–रीठा साहिब मोटर मार्ग के कि0मी0 07.00 से क्वीडागांव (दूबड) मोटर मार्ग लम्बाई 6.50 कि0मी0 के निर्माण हेतु 2.60 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत के पत्रांक 2052 / 12–1 दिनांक 18.11.2024 द्वारा वृत्त स्तर को प्रेषित किया गया है, जिसे मूल तीन प्रतियों मे आपको सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न– तीन प्रतियों में।

प्र० अधि० प्रभा० चम्पावत
आ० का० के०
30-11-2024

भवदीय

(डॉ धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून
पंजी० सं० 2258
पत्रावली 12-1
दिनांक 16-12-24

प्रति
21-11-24 अधिशासी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone No. 05965/230375- Fax No.230180 Email- dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 2052 / 12-1 दिनांक , चम्पावत 18-11-2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय – धूनाघाट–रीठा साहिब मोटर मार्ग के कि0मी0 07.00 से क्वीड़ागांव (दूबड़) मोटर मार्ग लम्बाई 6.50 कि0मी0 के निर्माण हेतु 2.60 है0 वन भूमि का गैर–वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव सं0–**FP/UK/ROAD/19093/2016**)

सन्दर्भ– भारत सरकार की पत्र संख्या 8बी/यू0सी0पी0/06/235/2016/एफ.सी./1336 दिनांक 06.01.2023 व अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी की पत्र संख्या 1668/ **FP/UK/ROAD/19093/2016** दिनांक 12.01.2023।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र में भारत सरकार द्वारा निम्नांकित बिन्दु पर त्रुटियों का अवलोकन कर अभिलेख/दस्तावेज प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके कम में अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित की जा रही है–

क0सं0	आपत्ति	निस्तारण
1.	In the perusal of the KML file, it has been seen that the existing path along the proposed alignment was constructed after year 2018-19 while the case was under consideration of approval. This can be considered as a violation of FCA, 1980.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि खण्ड में स्वीकृत धूनाघाट–भिंगराड़ा–रीठा साहिब मोटर मार्ग के कि0मी0 07.00 से क्वीड़ागांव (दुबड़) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.60 है0 वन भूमि प्रस्ताव गठित कर दिनांक 25.04.2016 को ऑनलाईन किया गया था। जिसमें समय–समय पर उच्च स्तर पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण किया जाता रहा है। वर्तमान में संदर्भित पत्र के माध्यम से के0एम0एल0 फाईल में existing path होना अवगत कराया गया है, जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया गया है, तथा FCA 1980 की शर्तों का विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। जांच रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित की गयी है।
2.	Further, the target villages can be easily connected from the end point of the proposed alignment rather being the proposed starting point.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश में प्रस्तावित धूनाघाट–भिंगराड़ा–रीठा साहिब मोटर मार्ग के कि0मी0 07.00 से क्वीड़ागांव (दुबड़) तक स्वीकृत किया गया है जो कि अन्तिम बिन्दु टाकखन्दक–करौली मोटर मार्ग में है। प्रस्तावित समरेखण के अन्तिम बिन्दु से ग्रामों को संयोजित करने पर संयोजित ग्रामों से जिला मुख्यालय लगभग 10–12 कि0मी0 की अतिरिक्त दूरी तय करनी होगी। लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सुगमता एवं स्वीकृत शासनादेशानुसार प्रारम्भिक बिन्दु धूनाघाट–भिंगराड़ा–रीठा साहिब मोटर मार्ग के कि0मी0 07.00 से ही उपयुक्त है।
3.	DFO will submit the action taken report on violation as seen in the KML and also submit the comment on the possibility of connecting target villages from the end point of the proposed alignment.	उल्लिखित रिपोर्ट पृथक से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

पत्रांक 2052 /12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, चम्पावत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि आप उक्त पत्र एत्र स्वयं अथवा विशेष पत्रवाहक के माध्यम से पहुंचाने का कष्ट करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,चम्पावत

☎ & Fax No. 05965–230034
E-Mail : eechampawat@rediffmail.com
E-Mail : eechampawat@gmail.com

पत्रांक :– 260 / 2सी दिनांक :– 27/ 01 / 2023

प्रतिसंख्या 6148
12-1
दिनांक 3-2-2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग चम्पावत।

विषयः– जनपद चम्पावत के धूनाघाट–भिगराड़ा–रीठासाहिब मोटर मार्ग क कि0मी0 7.0 से क्वीड़ागॉव (दुबड़) तक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या **(FP/UK/ROAD/19093/2016)**

संदर्भः– **भारत सरकार का पत्रांक** पत्रांक 8 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 235 / 2016 / एफ0सी0 / 1336 दिनांक 6.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई आख्या का उत्तरालेख निम्नवत प्रारूप में भर कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा हैः–

In the Perusal of the KML file it is seen that the existing path along the proposed alignment was constructed after year 2018-19 while the case was under consideration of approval ,This can be considered as a violation of FCA 1980 further , the target villages can be easily connected from the end Point of the proposed alignment rather being the proposed starting Point. Hence the concerned DFO will ssubmit the action taken report on violation as seen in the KML and also submit the comment on the possibility of connecting target villages from the end point of the proposed alignment.	खण्ड में स्वीकृत धूनाघाट–भिगराड़ा–रीठासाहिब मोटर मार्ग के कि0मी0–7 से क्वीडागॉव (दुबड)मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.60 हे0 वन भूमि प्रस्ताव गठित कर दि0 25–4–2016 को ऑनलाईन किया गया था। जिसमें समय–समय पर उच्च स्तर से प्राप्त आपत्तियों का निराकरण किया जाता रहा है,वर्तमान में संदर्भित पत्र के माध्यम से KMLफाईल में Existing Path होना अवगत कराया गया है, जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई भी निर्माण कार्य नही किया गया है, तथा FCA 1980 की शर्तो का विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का उल्लंघन नही किया गया है। शासनादेश में प्रस्तावित मार्ग धूनाघाट–भिगराड़ा–रीठासाहिब मोटर मार्ग के कि0मी0 7.00 से क्वीड़ागॉव (दुबड़) तक स्वीकृत किया गया है तदनुसार ही वन भूमि प्रस्ताव गठित किया गया है जो कि अन्तिम विन्दु टाकखन्दक–करौली मोटर मार्ग में है। प्रस्तावित सभरेखण के अन्तिम विन्दु से ग्रामों को संयोजित करने पर संयोजित ग्रामों से जिला मुख्यालय लगभग 10–12कि0मी0 की अतिरिक्त दूरी तय करनी होगी, लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सुगमता एवं स्वीकृत शासनादेशानुसार प्रारम्भिक विन्दु धूनाघाट–भिगराड़ा– रीठासाहिब मोटर मार्ग के कि0मी0–7 से ही उपयुक्त है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

सहायक अभियंता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0,चम्पावत

अधिशासी अभियंता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0,चम्पावत

Action-taken report

विषयक प्रकरण पर सी0एम0 हेल्पलाईन पर दर्ज शिकायत CMHL-092023-10-441056 दिनांक 11.09.2023 पर अंकित आदेश दिनांक 16.09.2023 (मय संलग्नक सहित) दिनांक 25.11.2023 के कम में वन क्षेत्राधिकारी, भिंगराड़ा रेंज द्वारा उक्त मोटर मार्ग में पड़ने वाले क्षेत्र का वन बीट अधिकारी धूनाघाट, अनुभाग अधिकारी सकदेना, ग्राम प्रधान निलौटी, सरपंच निलौटी तथा ग्रामीणों के साथ निरीक्षण किया गया। जहाँ के0एम0एल0 में उक्त मार्ग का पूर्व में ही निर्मित किया जाना दर्शित हो रहा है। तदपश्चात् राजस्व विभाग, वन विभाग के कार्मिकों व जनप्रतिनिधियों के साथ उक्त क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण व समस्त पक्षों के बयानों व अभिकथनों के प्राप्त होने के पश्चात् यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि –

उक्त प्रभावित क्षेत्र में सिविल भूमि 0.540 हे0 भूमि 9(3)ड़ श्रेणी की है (कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 का पत्रांक 2277/2सी दिनांक 02.09.2024 के पत्र द्वारा प्राप्त उपजिलाधिकारी पाटी का पत्रांक 168/र0का0–सं0नि0/2024–25 दिनांक 15.07.2024 के अनुसार)व शेष 0.260 हे0 क्षेत्र वन पंचायत निलोटी के अन्तर्गत आता है। कार्यदायी संस्था विकासखण्ड पाटी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत निलौटी के कसगाड़ी पुल से दुबड़ सुरका तक मोटर मार्ग का निर्माण (अवशेष कार्य) विधायक निधि के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में ग्रामवासियों के की शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति व गांव के उत्पादन को बाजार तक पहुंचाने हेतु कराया गया। जिसमें कि उक्त मार्ग में केवल अश्वमार्ग का निर्माण किया गया जिसे के0एम0एल0 के माध्यम से दर्शाया गया है (पीला संरेखण काटा गया अश्वमार्ग, लाल संरेखण प्रस्तावित मोटर मार्ग व हरा संरेखण वैकल्पिक मार्ग को दर्शा रहा है)। जांच करने पर प्रश्नगत मार्ग का प्रस्तावित संरेखण से भिन्न दिखायी देना पाया गया है।

प्रकरण पर श्रीमती रेखा देवी, सरपंच, वन पंचायत, निलोटी द्वारा दिये गये लिखित बयान के अनुसार ठेकेदार की प्रधान लेबर घनश्याम भट्ट पुत्र देवीदत्त ग्राम निलोटी द्वारा बिना अनुमति वन पंचायत निलोटी के 0.260 हे0 क्षेत्र पर अश्वमार्ग निर्माण का कार्य किया गया है। जिसके कम में वन पंचायत पर हुए अपराध के सापेक्ष वन पंचायत प्रबन्धन समिति द्वारा वन पंचायत नियमावली, 2005 यथा संशोधित 2012 के उपनियम (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त घनश्याम भट्ट से रू0 20000 का अर्थदण्ड/जुर्माना वसूल कर लिया गया है (रसीद संलग्न है)। शेष मार्ग में प्रभावित सिविल भूमि अभिलेखों में वन भूमि का न होना पाया गया है व नाप भूमि का क्षेत्र ग्रामवासियों का होने के तथ्य पर उनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि उक्त मार्ग उनकी स्वीकृति द्वारा निर्मित कराया गया है। जिस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्तानुसार जांच में धूनाघाट–रीठा साहिब मोटर मार्ग के कि0मी0 07.00 से क्वीड़ागांव (दूबड़) तक पूर्व में निर्मित मार्ग एक अश्वमार्ग है जिसका निर्माण ग्रामवासियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

इसके अतिरिक्त अन्तिम बिन्दु से अन्य ग्रामों को जोड़ने के विषय में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश में प्रस्तावित मार्ग धूनाघाट–भिंगराड़ा–रीठा साहिब मोटर मार्ग के कि0मी0 07.00 से क्वीड़ागांव (दुबड़) तक स्वीकृत किया गया है जो कि टाकखन्दक–करौली मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु में है। प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित समरेखण के अन्तिम बिन्दु से ग्रामों को संयोजित करने पर संयोजित ग्रामों से जिला मुख्यालय लगभग 10–12 कि0मी0 की अतिरिक्त दूरी तय करनी होगी। अतः लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सुगमता एवं स्वीकृत शासनादेशानुसार प्रारम्भिक बिन्दु धूनाघाट–भिंगराड़ा–रीठा साहिब मोटर मार्ग के कि0मी0 07.00 से ही उपयुक्त है।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

कार्यालय उप जिलाधिकारी पाटी

संख्या 168 /र0का0–सं0 नि0/2024–25 दिनांक 15/7/2024

सेवा में,

जिलाधिकारी
चम्पावत।

विषयः– धूनाघाट – रीठासाहिब मोटर मार्ग के किमी0 7 से क्वीडागांव–दुबड मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र सं0 5738 /सार्व0सहा0–विविध /2023 दिनांक 10 जुलाई 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा धूनाघाट–रीठासाहिब मोटरमार्ग के किमी0 7 से क्वीडागांव–दुबड मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त के कम में धूनाघाट–रीठासाहिब मोटरमार्ग के किमी0 7 से क्वीडागांव–दुबड मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में राजस्व विभाग, वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग चम्पावत द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया गया। उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग की पूर्ण लम्बाई 6.500 किमी0 है, जिसमें प्रभावित होने वाली कुल भूमि में से 0.260 हे0 भूमि श्रेणी 9(3) क वन पंचायत की है, 0.540 हे0 भूमि श्रेणी 9(3)ड. बंजर काबिल आबाद की है, तथा 1.000 हे0 नाप भूमि है। प्रस्तावित मोटर मार्ग वर्तमान में अश्व मार्ग के रूप में निर्मित है, उक्त अश्व मार्ग भू– अभिलेखों में दर्ज नहीं है। प्रस्तावित मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाली नाप भूमि के संबन्ध में स्थानीय ग्रामवासियान एवं हकदारान की कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्तावित मोटर मार्ग में कोई इमारती वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है। सुलभ सन्दर्भ हेतु संयुक्त निरीक्षण आख्या मूल में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्तानुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

भवदीय

उप जिलाधिकारी
पाटी।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता , लोक निर्माण विभाग चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित ।

उप जिलाधिकारी
पाटी।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

उपजिलाधिकारी महोदय पाटी के आदेश सं0 134/र0का0–सं0नि0/2023–24 दिनांक 29 मई 2024 के अनुपलान में आज दिनांक 30.05.2024 को धूनाघाट–रीठासाहिब मोटरमार्ग के किमी 07 से क्वीडागांव–दुबडकमलेख मोटरमार्ग के निर्माण के संबन्ध में प्रस्तावित स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में राजस्व विभाग, वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग चम्पावत के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत है।

प्रस्तावित मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 6.500 किमी है। जिसमें प्रभावित होने वाली कुल भूमि में से 0.260 हे0 भूमि श्रेणी 9(3) क वन पंचायत की है, 0.540 हे0 भूमि श्रेणी 9 (3)ड. बंजर काबिल आबाद की है तथा 1.000 हे0 भूमि नाप भूमि कास्तकारों के नाम दर्ज अभिलेख है। प्रस्तावित मोटर मार्ग वर्तमान में अश्वमार्ग के रूप में निर्मित किया गया है, उक्त अश्व मार्ग भू अभिलेखों में दर्ज नहीं है। प्रस्तावित मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाली नाप भूमि के संबन्ध में स्थानीय ग्रामवासियों एवं हकदारान को कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्तावित मोटर मार्ग में कोई इमारती वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है। प्रस्तावित मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण पूर्व में भी दिनांक 02.12.2023 को किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

अतः उक्तानुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

लोक निर्माण विभाग	वन विभाग	राजस्व विभाग
J.E.	वन दरोगा धूनाघाट Deepa वन आरक्षी	R.S.I.
तहसीलदार, तहसील-पाटी		ग्राम विकास अधिकारी बालातड़ी

SDM

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी, भिगराड़ा वन क्षेत्र

पत्रांक 491 /21–1 दिनांक 29.12.2023

सेवा में,

श्रीमान **प्रभागीय वनाधिकारी,**

चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

विषय– **धूनाघाट–भिंगराड़ा–रीठासाहिब मार्ग के किमी0 07.00 से क्वीड़ागांव (दुबड़) तक मोटर मार्ग लम्बाई 6.50 कि0मी0 की जांच के सम्बन्ध में।**

संदर्भ – **सी.एम.हैल्पलाईन में दर्ज शिकायत CMHL-092023-10-441056 दिनांक 11.09.2023 पर आपका आदेश दिनांक 16.09.2023**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित ओदश के अनुपालन में आप द्वारा प्रकरण पर मांगी गयी आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है।

रिपोर्ट

विषयक प्रकरण पर श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत द्वारा सी. **एम. हैल्पलाईन में दर्ज शिकायत CMHL-092023-10-441056 दि011.09.2023 पर अंकित आदेश दिनांक 16.09.2023** मय संलग्नकों (यथा– मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार तथा जिलाधिकारी, चम्पावत को प्रेषित समस्त क्षेत्रीय जनता दुबड़कमलेख, क्वीड़गांव बुरूशखोला के प्रार्थना पत्र, तथा विषयक रोड की नोडल अधिकारी द्वारा जारी टाईमलाईन डिटेल) के मुझे दिनांक 25.11.2023 को प्राप्त हुआ। जिसमें शिकायत के क्रम में आख्या तत्काल उपलब्ध कराये जाने हेतु मुझको निर्देशित किया गया है।

विवरण

1) प्रकरण पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 01.12.2023 को बन बीट अधिकारी धूनाघाट अनुभाग अधिकारी सकदेना, ग्राम प्रधान निलोटी, सरपंच निलोटी तथा ग्रामीणों के साथ प्रश्नगत मार्ग का निरीक्षण किया नजरी नक्शा बनाया जिसमें उपरोक्त सभी के हस्ताक्षर है। **(अनुलग्नक–1)** निरीक्षण उपरान्त कार्यालय पहुंच कर प्रश्नगत मार्ग में प्रभावित भूमि की स्थिति जानने के लिये प्रकरण पर उप जिलाधिकारी पाटी को दिनांक 02.12.2023 को संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया **(अनुलग्नक–2)**

2) अपरिहार्य कारणों के चलते उक्त निरीक्षण दिनांक 02.12.2023. के स्थान पर दिनांक 03.12.2023 को किया गया उक्त संयुक्त निरीक्षण में राजस्व विभाग की तरफ से राजस्व निरीक्षक भुम्वाड़ी राजस्व निरीक्षक.बालातड़ी तथा वन विभाग की ओर से वन बीट अधिकारी धूनाघाट अनुभाग अधिकरी मानदेवी वन दरोगा देवीधूरा रेंज व जनप्रतिनिधि–ग्राम प्रधान निलोटी, सरपंच निलोटी, तथा शिकायतकर्ता श्री सुन्दर सिंह बोरा उपस्थित हुए। उक्त प्राप्त संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्न प्रकार है।

संयुक्त निरीक्षण आख्या–

आज दिनांक 02.12.2023 को धूनाघाट भिंगराड़ा, रीठा साहिब मोटर मार्ग क्वीड़गांव से दुबड़ तक मोटर मार्ग लम्बाई 6.50 KM का संयुक्त निरीक्षण वन विभाग के साथ किया गया किये गये सर्वेक्षण में प्रभावित भूमि की स्थिति निम्न प्रकार है–

1– वन पंचायत की भूमि– 0.260 है0

2– सिविल भूमि– 0.540 है0

3– नाप भूमि– 1.000 है0

उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि में सिविल भूमि 0.540 है0 भूमि 9(3)ड़ श्रेणी की है, जो वन भूमि के रूप में दर्ज नहीं है। हस्ताक्षर अपठित राजस्व निरीक्षक भुम्वाड़ी, बालातड़ी तथा संयुक्त निरीक्षण में उपस्थित अन्य व्यक्ति **(अनुलग्नक–3)**

3) प्रकरण पर की गयी छानबीन तथा आस–पास के ग्रामीणों से उपलब्ध हुई जानकारी से ज्ञात हुआ कि **धूनाघाट–भिंगराड़ा–रीठासाहिब मार्ग के किमी0 07.00 से क्वीड़ागांव (दुबड़) तक मार्ग** का निर्माण कार्यदायी संस्था विकास खण्ड पाटी तथा सर्वे कार्य लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड चम्पावत द्वारा किया जाना पाया गया। जिस आधार पर दिनांक 05.12.2023 को खण्ड विकास अधिकारी पाटी को एक पत्र **(अनुलग्नक–4)** तथा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग चम्पावत को एक पत्र **(अनुलग्नक–5)** प्रेषित किये गये। जिसमें उक्त दोनो संस्थाओं को दिनांक 11.12.2023 को प्रातः 11:00 बजे रेंज कार्यालय भिंगराड़ा पहुंचकर अपना पक्ष रखने व अभिकथन दर्ज किये जाने के लिये, लिखा गया। जिसके क्रम में लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने पत्रांक 3570/02सी0 दिनांक 13.12.2023 **(अनुलग्नक–6)** द्वारा उक्त निर्धारित तिथि के स्थान पर दिनांक 22.12.2023 को निर्धारित की गयी। दिनांक 22.12.2023 को लोक निर्माण विभाग की तरफ से सर्वे अमीन श्री मदन मोहन तथा श्री के0सी0 पन्त उपस्थित हुए जिनके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई

अभिकथन दर्ज नहीं कराया गया तथा मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि प्रकरण पर पूर्व के सर्वेयर से सम्पर्क कर पुनः सर्वे कराकर पूर्व में की गयी सर्वे तथा वर्तमान में मौके पर बने मार्ग में आयी भिन्नता की रिपोर्ट उनके द्वारा पृथक से प्रेषित कर दी जायेगी। उक्त रिपोर्ट वर्तमान में आतिथि तक अप्राप्त है। जिस हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 481/21–1 दिनांक 26.12.2023 **(अनुलग्नक–7)** से पुनः लिखा गया है।

इस सम्बन्ध में प्रश्नगत मार्ग का निर्माण करने वाली कार्यदायी संस्था विकास खण्ड पाटी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट निम्न प्रकार है–

प्रेषक खण्ड विकास अधिकारी पाटी

प्रेषित वन क्षेत्राधिकारी, वन क्षेत्र भिंगराड़ा

पत्रांक 855/1–लेखा /विधायक निधि/2023–24 दिनांक 27.12.2023

विषय– ***धूनाघाट–भिंगराड़ा–रीठासाहिब मार्ग के किमी0 07.00 से क्वीड़ागांव (दुबड़) तक मोटर मार्ग लम्बाई 8.00 कि0मी0 की जांच के सम्बन्ध में।***

महोदय, उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है, कि ग्राम पंचायत निलौटी के कसगाड़ी पुल से दुबड़ सुरका तक मोटर मार्ग निर्माण अवशेष कार्य विधायक निधि के के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में निर्मित कराया गया था जो कि उक्त किमी0 में अश्वमार्ग का ही निर्माण किया गया है। जिसमें अश्वमार्ग निर्माण कार्य के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के पेड़ो को क्षति नहीं पहुंचाई गई है। अतः सूचना प्रेषितं। भवदीय, हस्ताक्षर अपठित खण्ड विकास अधिकारी पाटी **(अनुलग्नक–8)**

4) प्रकरण पर प्रस्तावित रोड, वैकल्पिक मार्ग तथा प्रश्नगत मार्ग की के0एम0एल0 का अध्ययन किया गया जिसमें वर्तमान में मौके पर काटे गये मार्ग की के0एम0एल0 (पीले रंग से दर्शित) प्रस्तावित मार्ग (लाल रंग से दर्शित) व वैकल्पिक मार्ग (हरे रंग से दर्शित)की के0एम0एल0 गुगल अर्थ में देखने पर विषयगत प्रश्नगत मार्ग वैकल्पिक मार्ग तथा प्रस्तावित मार्ग के आस–पास ही दिखायी दे रहा है कहीं कहीं पर यह मार्ग प्रस्तावित एलायमेंट से बाहर है। सुलभ संदर्भ हेतु के0एम0एल0 फाईलों का प्रिन्ट आउट संलग्न है **(अनुलग्नक–9)**

5) प्रकरण पर सरपंच वन पंचायत निलौटी के बयान दिनांक 26.12.2023 को रेंज कार्यालय भिंगराड़ा में लिये गये–

मै सरपंच श्रीमती रेखा देवी पत्नी प्रयाग दत्त निलोटी अपने पूरे होशे हवास में बिना किसी दबाव के आज दि0 26.12.2023 को जांच अधिकारी के समक्ष भिंगराड़ा रेंज कार्यालय में लिखीत बयान करती हूँ कि नवम्बर 2018 में वन पंचायत प्रबन्धन समिति की अनुमति के बिना वन पंचायत निलोटी के अन्तर्गत ठेकेदार की प्रधान लेबर घनश्याम भट्‌ट पुत्र देवीदत्त ग्राम निलोटी द्वारा अश्वमार्ग हेतु वन पंचायत की 0.260 है0 क्षेत्र को खुर्द बुर्द कर दिया गया उक्त अपराध के सापेक्ष वन पंचायत नियमावली 2005 यथा संशोधित 2012 के नियम 20 के उपनियम (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त घनश्याम भट्‌ट से रू0 20000.00 (रू0 बीस हजार) मात्र की धनराशि बतौर जुर्माना वसूल कर लिया गया है। जिसकी रसीद संलग्न है। उक्त प्रकरण पर यही मेरे बयान हैं। रेखा देवी पत्नी प्रयाग दत्त सरपंच निलोटी हस्ताक्षर रेखादेवी सील सरपंच वन पंचायत निलौटी विकास खण्ड चम्पावत **(अनुलग्नक–10)**

6) प्रकरण पर ग्राम प्रधान निलौटी के द्वारा अपने लैटर पैड अपने अभिकथन दिनांक 26.12.2023 को रेंज कार्यालय भिंगराड़ा प्रस्तुत किये गये–

ग्राम पंचायत निलौटी के अन्तर्गत तोक क्वीड़ागांव निलौटी दुबड़ बुरूषखोला के ग्रामवासियों का मुख्य सड़क तक जोड़ने का एकमात्र मुख्य मार्ग है जिससे बीमार तथा गर्भवती महिलाओं तथा फल सब्जियों को बाजार ले जाने में काफी परेशानियों का समाना करना पड़ता है स्थानीय लोगों द्वारा मार्ग का चौड़ीकरण कर अश्वमार्ग के रूप में करवाया गया है जिसके निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार के पेड़ों का नुकसान नहीं हुआ है। उक्त अश्वमार्ग समस्त क्षेत्रीय जनता के हित में था। यही मेरे बयान है। हस्ताक्षर अपठित सील ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत निलौटी तहसील पाटी (चम्पावत)**(अनुलग्नक–11)**

7) प्रकरण पर शिकायतकर्ता श्री सुंदर सिंह बोरा के बयान दिनांक 26.12.2023 को रेंज कार्यालय भिंगराड़ा में लिये गये–

मै सुन्दर सिंह बोहरा निवासी ग्राम दुबड़कमलेख आज दिनांक 26.12.2023 को भिंगराड़ा रेंज कार्यालय में जाकर अपने पूरे होशोहवास बिना किसी दबाव के यह बयान देता हूँ कि मेरे द्वारा पूर्व में सी0एण्म0 हैल्प लाईन में उक्त मोटर मार्ग के किमी0 7.00 से ग्राम वासियों को मोटर मार्ग से जोडने हेतु निवेदन किया गया था। किन्तु अभीतक ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा सुलभ नहीं हो पायी है ग्राम वासियों का उक्त स्थान से गांव तक जाने का मुख्यमार्ग है ग्रामवासी इसी मार्ग से बीमार व्यक्तियों को व गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक इसी मार्ग से

लेजाया करते है तथा बाजार से सामान लाकर घोड़े खच्चरों से समान का ढुलान भी इसी मार्ग से करते आ रहे हैं। ग्रामवासियों द्वारा इस असुविधा को देखते हुए इस मुख्य मार्ग को विधायक निधि द्वारा चौड़ा करवाया गया है निर्माण कार्य विकास खण्ड पाटी द्वारा करवाया गया है अतः ग्राम वासियों की उक्त परेशानी को देखते हुए एक मोटरमार्ग की मांग अपने प्रार्थना पत्र द्वारा की गयी थी। मोटरमार्ग की असुविधा को देखते हुए उक्त मुख्य मार्ग जो अश्व मार्ग के रूप में चौड़ा किया है इस रास्ते के निर्माण में जो भूमि काटी गयी है उसमें मेरी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है रेंज कार्यालय भिंगराड़ा द्वारा उक्त मार्ग निर्माण में जो उचित कार्यवाही की गयी है उससे मै संतुष्ट हूँ। हस्ताक्षर अपठित सुन्दर सिंह बोहरा ग्राम दुबड़ कमलेख मो0 9410505362

(अनुलग्नक–12)

8) प्रकरण पर मार्ग में प्रभावित नाप भूमि के भूमिधारियों के संयुक्त बयान दिनांक 26.12.2023 को रेंज कार्यालय भिंगराड़ा में लिये गये–

बयान सम्बन्धित भूमिधारी

हम समस्त ग्रामवासी ग्राम–निलौटी, क्वीड़ागांव, दुबड़कमलेख, बुरूषखोला आज दिनांक 26.12.2023 को भिंगराड़ा रेंज कार्यालय में अपने होशो हवास में बिना दबाव के यह बयान देते हैं कि–

धूनाघाट–रीठा मोटरमार्ग से कि0मी0 7.00 से हम समस्त ग्रामवासियों का गांव तक जाने का मख्य मार्ग है ग्रामवासी इसी मुख्य मार्ग से प्रतिदिन मैनरोड में बाजार जाने हेतु आवागमन करते है। ग्रामवासी इसी मार्ग से प्रतिदिन मैन रोड में बाजार जाने हेतु आवागमन करते हैं। ग्रामवासी इसी मार्ग से गांव में बिमार व्यक्तियों व गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने हेतु डोली में बैठाकर इस मार्ग से मुख्य रोड में गाड़ी में बैठने हेतु जाते हैं गांव में अस्पताल व दवाईयों के आभाव में गांव में समय–समय पर अप्रिय घटनायें हो जाती थी साथ ही गांव ग्रामवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि होने के कारण ग्रामवासी अपनी फसल साग भाजी नाशपाती एवं बाजार से राशन सामाग्री उसी मार्ग से घोड़े खच्चारों द्वारा ढुलान करवाते है ग्रामवासियों को इस उबड़–खाबड़ व संकरे रास्ते से प्रतिदिन आवागमन करने व समान ढोने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। ग्राम वासियों में इस असुविधा को देखते हुए इस मार्ग को चौड़ा करने हेतु विधायक निधि से अश्वमार्ग का निर्माण विकास खण्ड पाटी द्वारा करवाया गया था जिससे ग्रामवासी बिमार व्यक्तियों का डोली में कन्धों में आसानी से लाकर समय पर अस्पताल पहुंचा सके यह मार्ग समय–समय पर वर्षात में क्षतिग्रस्त होने पर भी

ग्रामवासी मिलकर चलने योग्य बनाते रहते हैं। ग्रामवासियों के पास इस अश्वमार्ग के निर्माण में जितनी भी नाप भूमि है इस नाप भूमि के कटने में हमारी कोई आपत्ति नहीं है।

अतः ग्राम निलौटी क्वीड़ागांव, दुबड़कमलेख बुरूषखोला की उपरोक्त मुख्य समस्या को देखते हुए हम ग्राम वासियों को एक मोटर मार्ग की नितान्त आवश्यकता है जिसमें ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा मिल सके। (अनुलग्नक–13)

विवेचना

धूनाघाट–भिंगराड़ा–रीठासाहिब मार्ग के किमी0 07.00 से क्वीड़ागांव (दुबड़) तक मोटर मार्ग लम्बाई 6.50 कि0मी0 की जांच में उपरोक्तानुसार विवरण के आधार पर बिन्दु सं0 1 के अनुसार प्रभावित भूमि वन पंचायत की भूमि सिविल भूमि तथा नाप भूमि के सम्बन्ध में राजस्व निरीक्षक के अनुसार प्रभावित सिविल भूमि की श्रेणी वन के रूप में दर्ज नहीं है प्रभावित वन पंचायत की भूमि पर हुए वन अपराध के लिये बिन्दु सं0 5 के अनुसार सरपंच वन पंचायत निलोटी के बयान से स्पष्ट होता है कि वन पंचायत प्रबन्धन समिति निलौटी द्वारा उक्त अपराध का शमन कर उक्त अपराध के सापेक्ष वन पंचायत नियमावली 2005 यथा संशोधित 2012 के नियम 20 के उपनियम (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त से रू0 20000.00 (रू0 बीस हजार) मात्र की धनराशि बतौर जुर्माना वसूल कर लिया गया है। शेष मार्ग में प्रभावित नाप भूमि के भूमिधारियों द्वारा बिन्दु सं0 8 में अपने बयानों में स्वीकार किया गया है उक्त मार्ग में प्रभावित हो रही उनकी भूमि पर उनकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। बिन्दु सं0 3 में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रकरण पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा अपने पत्र में स्वीकार किया गया है, कि उक्त मार्ग का निर्माण उनके द्वारा अश्वमार्ग के रूप में किया गया है। बिन्दु सं0 4 के अनुसार प्रश्नगत मार्ग प्रस्तावित मार्ग के आस–पास ही है, तथा वास्तविक एलाइमैन्ट एडजैस्टमैन्ट में पुनः उपर नीचे होने की सम्भावना है। बिन्दु सं0 6 में ग्राम प्रधान निलौटी के बयानों से स्पष्ट होता है, कि प्रश्नगत मार्ग गांव वालों की शिक्षा स्वास्थ्य जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा गांव के उत्पादन को बाजार देने के उद्देश्य से उक्त अश्वमार्ग का निर्माण किया जाना क्षेत्रीय जनता के हित में था। बिन्दु सं0 7 में शिकायतकर्ता के बयान से स्पष्ट होता है, कि उनके द्वारा गांव वालों की शिक्षा स्वास्थ्य जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति न होने तथा गांव के उत्पादन को बाजार न मिलने के कारण इस अश्वमार्ग के बजाय एक मोटर रोड का निर्माण करवाने के उद्देश्य से यह शिकायत की

गयी थी यदि मोटर मार्ग बन जाता है, तो उन्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी तथा प्रकरण पर की जा रही कार्यवाही से वह संतुष्ट हैं।

निष्कर्ष

उपरोक्तानुसार की गयी विवेचना के आधार पर प्रकरण पर यह पुष्ट होता है, कि जांच में उल्लेखित मार्ग **धूनाघाट–भिंगराड़ा–रीठासाहिब मार्ग के किमी0 07.00 से क्वीड़ागांव (दुबड़) तक मोटर मार्ग लम्बाई 6.50 कि0मी0** का निर्माण में ग्रामीणों की आवश्यकता को देखते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा अश्वमार्ग के रूप में किया गया। जिसमें प्रभावित पंचायती भूमि पर किये गये अपराध के सापेक्ष वन पंचायत प्रबन्धन समिति द्वारा अर्थदण्ड वसूल कर लिया गया है। मार्ग में प्रभावित सिविल भूमि अभिलेखों में वन भूमि के रूप में दर्ज नहीं है तथा प्रभावित नाप भूमि के भूमिधारियों को इस मार्ग में प्रभावित भूमि पर कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर **धूनाघाट–भिंगराड़ा–रीठासाहिब मार्ग के किमी0 07.00 से क्वीड़ागांव (दुबड़) तक का मार्ग एक अश्व मार्ग है जो कि क्षेत्र के ग्रामीणों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाया गया है।**

अतः प्रकरण पर उपरोक्तानुसार आख्या महोदय की सेवा में सादर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार अनुलग्नक 1 से 13 मूल में

भवदीय,

विवेचक / जांच अधिकारी,
वन क्षेत्राधिकारी,
भिंगराड़ा वन क्षेत्र भिंगराड़ा, चम्पावत

...धूनाघाट ... किमी06.50 से क्यूडागांव (दुबड़) तक
लम्बाई 6.50 किमी०

अनुलग्नक -

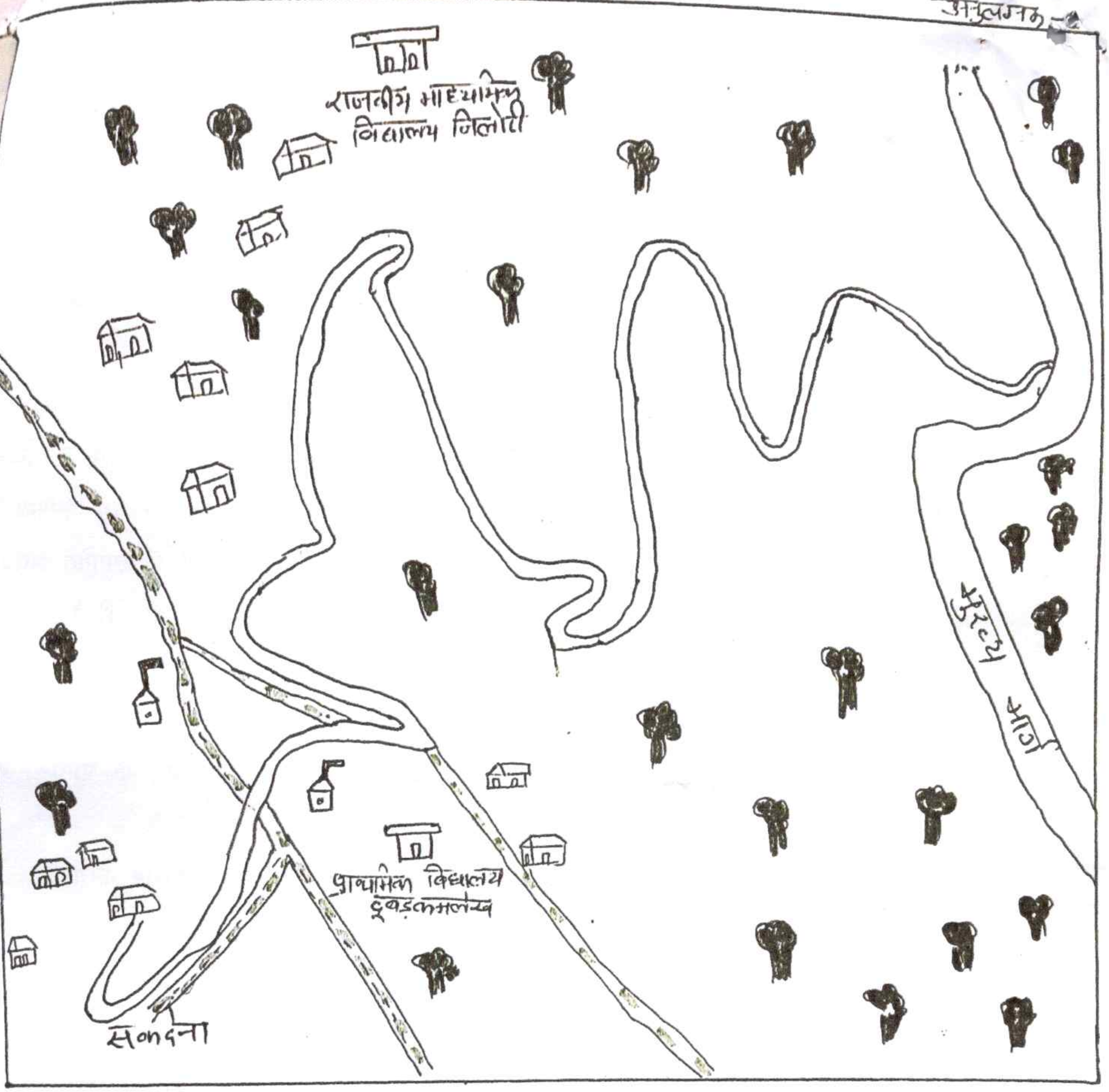

संकेत

- मंदिर
- प्राथमिक विद्यालय
- पेड़
- गदेरा
- घर/परिवार
- राजकीय माध्यमिक विद्यालय

वन दरोगा

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत जिलोटी
तहसील पाटी (चम्पावत)

कु० दीपा
वन रक्षक धूनाघाट

वन क्षेत्राधिकारी
भिंगराड़ा वनक्षेत्र
चम्पावत

अनुलग्नक- 2

उत्तराखण्ड वन सदैव आपके संग

कार्यालय– वन क्षेत्राधिकारी,भिंगराड़ा वन क्षेत्र

पत्रांक 375/ 12–1 दिनांक, भिंगराड़ा, 01/ 12 /2023।

सेवा में,

श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय
पाटी, जिला–चम्पावत।

विषय– धूनाघाट–भिंगराड़ा– रीठासाहिब–मोटर मार्ग के किमी0 07.000 से क्वीडागॉव (दुबड़) तक मोटर मार्ग लम्बाई 8.000 कि0मी0।

सन्दर्भ– सी0 एम0 हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत संख्या CMHL-092023-10-441056 दिनांक– 11 सितम्बर 2023 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के कम में उक्त मोटर मार्ग की जांच किया जाना है पूर्व सर्वे सीमांकन में सिविल, नाप, वन पंचायत भूमि दर्शायी गयी जिसमें सिविल भूमि की श्रेणी से संबधित जानकारी की आवश्यकता है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि सिविल भूमि की श्रेणी से समस्त जानकारी से संबंधित दिनांक 02.12.2023 को संयुक्त निरीक्षण की तिथि निर्धारित की गयी है। क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक को अपने स्तर से निर्देशित कर उक्त क्षेत्र में समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थिति हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

वन क्षेत्राधिकारी,
भिंगराड़ा वन क्षेत्र।

अनुलग्नक-3

संयुक्त निरीक्षण आख्या

आज दिनांक 02/12/2023 को चूनाघाट - भिंगराड़ा, रीठा साहिब मोटर मार्ग बवीड़गांव से दुबड़ तक मोटर मार्ग लम्बाई 6.50 Km का संयुक्त निरीक्षण वन विभाग के साथ किया गया किये गये सर्वेक्षण में प्रभावित भूमि स्थिति निम्न प्रकार है -

1. वन पंचायत की भूमि - 0.260 हेक्टेयर
2. सिविल भूमि - 0.540 हेक्टेयर
3. नाप भूमि - 1.000 हेक्टेयर

उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि में सिविल भूमि 0.540 हेक्टेयर भूमि 9(5) ड. श्रेणी की है जो वन भूमि के रूप में दर्ज नहीं है।

[signature] 27/12/2023

[signature] वन सरपंच

[signature] 27/12/2023 राजस्व ... (बाराकोट) तहसील ... दिनांक

[signature] व.प. चूनाघाट

[signature]

[signature] वन क्षेत्राधिकारी भिंगराड़ा वनक्षेत्र चम्पावत

1. धनपाल सिंह
2. बलवन्तसिंह
3. राजेन्द्र
4. खुशाल सिंह

5- ग्राम प्रधान सुन्दर सिंह बोहरा

अनुलग्नक-4

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी, भिगराड़ा वन क्षेत्र

पत्रांक– 394 /21–1 भिंगराड़ा दिनांक 5 .12.2023

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,
विकास खण्ड पाटी,चम्पावत

विषय– धूनाघाट–भिंगराड़ा–रीठासाहिब मार्ग के किमी0 07.00 से क्वीड़ागांव (दुबड़) तक मोटर मार्ग लम्बाई 8.00 कि0मी0 की जांच के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में विषयक सड़क के सम्बन्ध में एक शिकायत उच्च स्तर को प्राप्त हुई और उच्च स्तर से ही उक्त शिकायत के प्रकरण की जांच किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी को नामित किया गया है। जिसके अनुपालन में उक्त केस की विवेचना अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जा रही है। प्रथम दृष्टया विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि विषयगत सड़क का निर्माण आप द्वारा तैयार किया गया है। पुष्टि हेतु बतौर साक्ष्य छायाचित्र निम्न चस्पा है।

अतः इस सम्बन्ध में आप स्वयं अथवा प्रकरण से भिज्ञ अधिकारी/कर्मचारी को मुझ विवेचक के समक्ष दिनांक 11.12.2023 को प्रातः 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर मय आवश्यक अभिलेख पत्रावली सहित अपना पक्ष रखने व अपना अभिकथन दर्ज कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

----000----

विवेचक/जांच अधिकारी,
वन क्षेत्राधिकारी,
भिंगराडा वन क्षेत्र भिंगराड़ा, चम्पावत

अनुलग्नक-7

BY Email
eechampawat@rediffmail.com

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी, भिंगराड़ा वन क्षेत्र

पत्रांक– 481/21–1 भिंगराड़ा दिनांक 26.12.2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,चम्पावत

विषय– धूनाघाट–भिंगराड़ा–रीठासाहिब मार्ग के किमी0 07.00 से क्वीड़ागांव (दुबड़) तक मोटर मार्ग लम्बाई 8.00 कि0मी0 की जांच के सम्बन्ध में।

संदर्भ– इस कार्यालय का पत्रांक 393/21–1 दिनांक 05.12.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें आपको विषयक प्रकरण पर अपना पक्ष रखने तथा अभिकथन दर्ज किये जाने हेतु लिखा गया था जिस क्रम में आप द्वारा अपने पत्रांक 3570/02सी0 दिनांक 13.12.2023 द्वारा उक्त हेतु दिनांक 22.12.2023 की तिथि नियत की गयी थी। जिसके अनुपालन में आपके विभाग की तरफ से सर्वे अमीन श्री मदन मोहन तथा श्री के0सी0 पन्त उपस्थित हुए जिनके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अभिकथन दर्ज नहीं कराया गया तथा मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि प्रकरण पर पूर्व के सर्वेयर से सम्पर्क कर पुनः सर्वे कराकर पूर्व में की गयी सर्वे तथा वर्तमान में मौके पर बने मार्ग में आयी भिन्नता की रिपोर्ट उनके द्वारा पृथक से प्रेषित कर दी जायेगी।

अतः इस सम्बन्ध में प्रकरण पर उपरोक्तानुसार रिपोर्ट तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

——000——

विवेचक/जांच अधिकारी,
वन क्षेत्राधिकारी,
भिंगराड़ा वन क्षेत्र भिंगराड़ा, चम्पावत

अनुलग्नक - 8

प्रेषक,

खण्ड विकास अधिकारी,
पाटी ।

प्रेषित,

बन क्षेत्राधिकारी,
बन क्षेत्र भिंगराडा ।

पत्रांक 855 /1–लेखा/विधायक निधि /2023–24 दिनांक :: 27.12.2023 ।

विषयः– धूनाघाट –रीठासाहिब मोटर मार्ग के किमी 07 से क्यूडागांड (दुबड) तक मोटर मार्ग लम्बाई 8किमी की जॉच के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के कम में अवगत कराना है कि ग्राम पंचायत निलौटी के कसगाडी पुल से दुबड सुरका तक मोटर मार्ग निर्माण अवशेष कार्य विधायक निधि अर्न्तगत वर्ष 2020–2021 में निर्मित कराया गया था जो कि उक्त किमी0 में अश्व मार्ग का ही निर्माण कार्य किया गया है । जिसमें अश्वमार्ग निर्माण कार्य के अर्न्तगत किसी भी प्रकार के पेडों को क्षति नहीं पहुचाई गई है ।

अतः सूचना प्रेषित ।

भवदीय,

27/12/2023

खण्ड विकास अधिकारी,
पाटी ।

Dubar
Kamlaikh
दूबर कमलेख
17 mandi
17 मंडी
Chhoragaon
छोरगओं
Government Primary
School, Dubar Kamlekh
गवर्नमेंट
प्राइमरी स्कूल...
Sakdena
सकदेना
Sunset point
सनसेट पॉइंट

वन क्षेत्राधिकारी

अनुलग्नक – 10

बयान सरपंच

मै सरपंच श्रीमती रेखा देवी पत्नी प्रयागदत्त निलौटी अपने पूरे होशोहवास मै बिना किसी दबाव के आज दि. 26/12/ को जाँच अधिकारी के समक्ष भिगराड़ा रैन्ज कार्यालय मै लिखीत बयान करती हूँ कि नवम्बर 2018 मै वनपंच प्रबन्धन समिति की अनुमति के बिना वनपंचायत. निलौटी के अन्तर्गत ठेकेदार की प्रधान लेवर घनश्याम S/. देवीदत्त ग्राम निलौटी द्वारा अश्वमार्ग हेतू वनपंच के 0.260 हे. क्षेत्र मै खुर्द बुर्द कर दिया गया उक्त अपराध के सापेक्षा वनपंचायत नियमावली 2005 यथा संसोधित 2012 के नियम 20 के उपनियम (क) के प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए अभियुक्त घनश्याम भट्ट से रु. 20000 बीस हजार रुपये। की धनराशी बतौर जुर्माना वसूल कर लिया गया है जिसकी रसीद संलग्न है

उक्त प्रकरण पर यही मेरे बयान है

रेखा देवी w/. प्रयागदत्त
सरपंच निलौटी

रेखा देवी
सरपंच
वन ... निलौटी
वि. ... (... पावत)

अनुलग्न 10 A

पास परमिट

वन पँचायत........वन पंचायत निलौंरी (जनपद—चम्पावत)

क्रमांक 8101

दिनांक 08/11/2018

श्री.....घनश्याम भट्ट.....पुत्र श्री देवी दत्त

पुरा पता ......निलौंरी........................को

पास बावत वन पंचायत अवस्थी मार्ग बनाने में वन पंचायत की भूमि 20,000 बीस हजार रुपया मात्र का जमा

दिनांक 8/11/2018......से दिनांक..................तक

रु० 20,000.........शब्दो में.....बीस हजार (मि....पर दिया गया।

मुहर

नोट—कच्ची लकडी पक्की लकडी/स्लेट

सरपंच
वन पंचायत निलौंरी सरपंच
पि.ख.- पाटी (चम्पावत)

अनुलग्नक -11

ग्राम पंचायत निलौटी

विकासखण्ड-पाटी, जनपद- चम्पावत

जी.एस. बोहरा
ग्राम प्रधान मो0- 7505108223

निवास- ग्राम दुबड़ कमलेख,
विकासखण्ड- पाटी, जिला-चम्पावत, उत्तराखण्ड
मो0- 9917341185

पत्रांक-

दिनांक- 26/12/23
भिंगराड़ा

ग्राम पंचायत निलौटी के अर्न्तगत तोक कवीडागाँव निलौटी टूट
पुरुषखोला के ग्रामवासियो का मुख्य सडक तक जोडने क
एकमात्र मुख्य मार्ग है जिससे बीमार तथा गर्भवती महिला
तथा फल सब्जीयो को बाजार ले जाने मै काफी परेशानि
का सामना करना पडता है स्थानीय लोगो की परेशानियो
मध्यनजर रखते हुए स्थानीय लोगो द्वारा मार्ग का चौडीक
कर अश्वमार्ग के रूप मै करवाया गया है जिसके निर्मा
कार्य में किसी भी प्रकार के पेडो का नुकसान नही हुआ
उक्त अश्वमार्ग समस्त क्षेत्रीय जनता के हित मै था
यही मेरे बयान है

Gsbohra
ग्राम प्रधान
ग्राम पचायत निलौटी
तहसील पाटी (चम्पावत)

अनुलग्नक-14

मैं सुन्दर सिंह कोहरा निवासी ग्राम-टुकड़ वामनेत आज दि० 26-12-2023 को भिकियासैंण रेंज कार्यालय में जाकर अपने पूरे होश हवास बिना किसी दबाव के यह बयान देता हूँ कि -

मेरे द्वारा पूर्व में सी०एम० हेल्प लाइन में शिकायत मोटर मार्ग के कि०मी० 7.00 से ग्रामवासियों को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु निवेदन किया गया था। किन्तु अभी तक ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा सुलभ नहीं हो पाई है। ग्रामवासियों का उक्त स्थान से गाँव तक जाने का मुख्य मार्ग है। ग्रामवासी इसी मार्ग से बिमार व्यक्तियों को व गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक इसी मार्ग से ले जाया करते है तथा बाजार से सामान लाकर और खच्चर से सामान का ढुलान भी इसी मार्ग से करते आरहे है। ग्रामवासियों द्वारा इस असुविधा को देखते हुए इस मुख्य मार्ग को [illegible] हुए चौड़ीकरण गया है। निर्माण कार्य विकास खण्ड-[illegible] द्वारा करवाया गया है

अतः ग्रामवासियों की उक्त परेशानी को देखते हुए एक मोटर मार्ग की मांग आपने प्रार्थना पत्र द्वारा की गई थी। मोटर मार्ग की असुविधा को देखते हुए उक्त मुख्य मार्ग जो अश्वमार्ग के रूप चौड़ा किया है। उस रास्ते के निर्माण में जो श्रमिक कार्य कर रहे थे उसमें मेरी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। रेंज कार्यालय [illegible] द्वारा उक्त मार्ग निर्माण में जो उचित कार्यवाही की गई है। उससे मैं सन्तुष्ट हूँ।

(हस्ताक्षर)
सुन्दर सिंह कोहरा
ग्राम-टुकड़ वामनेत.

अनुलग्नक -

बयान भूमिधारी

हम समस्त ग्रामवासी ग्राम-भिलौरी, बचीडगाँव, ट्रुवड कमलेक, बुरास आज दि०-26-12-2023 को नियरावा रेंज कार्यालय में अपने होश हवास में बिना दबाव के यह बयान देते है कि -

धूनाघाट - रीठा साहिब मोटर मार्ग के कि०मी० 7.0 से हम समस्त ग्रामवासियों का गाँव तक जाने का मुख्य मार्ग है ग्रामवासी इसी मुख्य मार्ग से प्रतिदिन मैनरोड में बाजार जाने हेतु आवागमन करते है, ग्रामवासी इसी मार्ग से गाँव में बिमार व्यक्तियों व गर्भवती महिलाए को अस्पताल लेजाने हेतु डोली में बैठाकर इसी मार्ग से मुख्य रोड गाडी में बैठाने हेतु जाते हैं गाँव में अस्पताल व दवाईयों के अभाव में गाँव में समय-समय पर आकस्मिक घटनायें हो जाती थी। साथ ही ग्रामवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि होने के कारण ग्रामवासी अपनी फसल, साग-भाजी, नाशपाती, एवं बाजार से सामान-सामग्री इसी मार्ग से घोडे-खच्चरों द्वारा ढुलान करवाते हैं ग्रामवासियों को इ ऊबड-खाबड व संकरे रास्ते से प्रतिदिन आवागमन करने व सामान ढोने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पडता है। ग्रामवासीयों के इस असुविधा को देखते हुए इस मार्ग को चौडा करने हेतु विधायक निधि से अश्वमार्ग का निर्माण विकास खण्ड पाटी द्वारा करवाया गया था जिससे ग्रामवासी बिमार व्यक्तियों को डोली में कन्धों में आसानी से लाकर समय पर अस्पताल पहुँचा सकें। यह मार्ग समय-समय पर बरसात में क्षतिग्रस्त होने पर भी ग्रामवासी मिलकर चलने योग्य बनाते रहते है ग्रामवासियों के पास इस अश्वमार्ग के अलावा अन्य कोई मोटर मार्ग की सुविधा आजतक उपलब्ध नहीं है।

इस अश्वमार्ग के निर्माण में जितनी भी नाप भूमि कटे है वह हम ग्रामवासियों की नाप भूमि है। इस नाप भूमि के कटने में हमारी कोई आपत्ति नहीं है।

अतः ग्राम- भिलौरी बचीडगाँव, ट्रुवड कमलेक, बुरास खोला के उपरोक्त मुख्य समस्या को देखते हुए हम ग्रामवासियों को एक मोटर मार्ग की नितान्त, आवश्यकता है। जिससे ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा मिल सके।

1- सुन्दरसिंह बोहरा [signature]
2- दानसिंह बोहरा
3- विक्रमसिंह
4- स्वरूप सिंह बोहरा
5 सुन्दरी देवी
6 नारायण सिंह
7 - उत्तम सिंह
8 - [illegible]

[signature]

सरीता बोहरा
Pawan Singh Bohra
निशा बोहरा
आशा देवी
सीता देवी
पप्पू सिंह
बब्लू बोहरा
मनोहर बोहरा
गिरीश सिंह
दिवान सिंह बोहरा
प्रेम सिंह बोहरा
भुवन सिंह
राम सिंह
दिवान सिंह
विक्रम सिंह
बब्लू बोहरा
[illegible] सिंह
पुस्करसिंह
घनश्याम चन्द्र
[illegible] त्रिलोकसिंह
कैलाश चन्द्र
दीपादेवी
किशोरचन्द्र
ईश्वरीदत्त
प्रकाशचन्द्र
सुरेशचन्द्र
उमेशचन्द्र
महेशदत्त